



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

सम्बद्धता प्रमाण - पत्र संरक्षण
डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन
(द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 8(च) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्मित मान्यता विनियम 1994 के विभिन्न प्रावधानों के अध्याधीन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर एवं द्वारा शाला सांदीपनी एकेउभी अछोटी दर्ता जिला दूर्ग को डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम) के लिए हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन हेतु नीचे दी गई निम्न सौमान्य शर्तों पर 2024 से 2025 की अवधि के लिए मन्त्रक / सम्बद्धता प्रदान करता है -

- संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 एवं मान्यता विनियम 1994 (परिशिष्ट के रूप में संलग्न) के सभी प्रावधानों का पूर्णपेण (In letter and spirit) पालन किया जायेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का भी संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधानों का पालन न किये जाने की स्थिति में छ.ग. मा.शि. मण्डल रायपुर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965, की धारा 6 (च च च) के प्रावधानों के अंतर्गत यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकता है।
- संस्था द्वारा एन सी टी ई एवं एस सी ई आर टी रायपुर के द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- शाला / स्कूल / संस्था का निरीक्षण छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी / निरीक्षण दल द्वारा किया जा सकेगा।
- शहरी क्षेत्र (नगर निगम / नगर पालिका) में कम्प्यूटर शिक्षा की अध्यापन व्यवस्था करना अनिवार्य होगा तथा उसके मान से उपकरण तथा पृथक करने होना आवश्यक है। कम्प्यूटरों की संख्या प्रति तीन विद्यार्थी पर न्यूनतम एक होना अनिवार्य है।
- शाला में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों के लिए एक शैक्षणिक पर्यावरण निर्मित किया जावेगा जिससे न केवल छात्रों का शैक्षिक स्तर उन्नत होगा बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी संपूर्ण विकास होगा। यह अनिवार्य होगा कि शाला में अध्ययनरत छात्रों का औसत परीक्षाफल कम से कम मण्डल के औसत परीक्षाफल के समकक्ष हो अन्यथा शाला की मान्यता समाप्त की जा सकेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए मान्यता पर विचार नहीं किया जावेगा।
- संस्था छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय-समय पर वांछित जानकारी निर्धारित प्रपत्र में यथासमय निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर में / संभागीय कार्यालय, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं राजनांदगांव में प्रस्तुत करेगी।
 अ. संस्था किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी समय अन्य बोर्ड / विश्वविद्यालय या परीक्षण संस्था को ऐसी परीक्षाओं के लिए न तो तैयार करेगी और न ही भेजेगी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के समान स्वरूप और स्तर की हो।
- संस्था अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, सृजनात्मक विकास, मनोरंजन और खेलकूद के विकास के लिए भी समुचित व्यवस्था करेगी।
 (क) वर्ष में एक बार प्राधिकृत विकास अधिकारी से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
 (ख) शैक्षणिक गतिविधियां समय-समय पर शाला द्वारा संचालित की जावेगी।
- विद्यालयीन शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में संस्था के शिक्षकों को निर्देशानुसार यथा समय नामांकित कर प्रशिक्षण हेतु भेजना अनिवार्य होगा।
- शाला के छात्र यदि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामूहिक नकल में / अनुचित साधनों के प्रयोग में लिप्त पाये जाते हैं तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा शाला की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी तथा शाला आगामी तीन वर्षों तक मण्डल की परीक्षाओं हेतु मान्यता प्राप्ति हेतु अपात्र रहेगी।
- माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 161 / 2002 में हुए निर्णयानुसार संस्था के छात्रों को पॉलीथिन बेग एवं उससे बनी हुई सामग्री के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी अनिवार्यतः दी जावे।
- प्राचार्य इस प्रमाण-पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे।

विशेष सूचना - यह मान्यता केवल उपरोक्त अवधि 2024 से 2025 के लिए प्रभावशाली है। आगामी वर्षों के लिए यथासमय आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा आवेदन स्वीकृत होने की स्थिति में तथा पृथक प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही उस अवधि के लिए संस्था डी.एल.एड. परीक्षा की मान्यता प्राप्त मानी जावेगी, अन्यथा नहीं।

संस्था कोड 3034
 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
 सम्पुर

३५